न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2024/43

मुकेश दास बैरागी चैला कन्हैयालाल पुत्र कल्याणदास बैरागी निवासी मंदिर श्री राघवदास बालापुरा कोटा हाल मुकाम मकान नम्बर–36, बालाजी टाउन आदर्श नगर कुन्हाडी तहसील लाडपुरा कोटा राजस्थान

––अपीलांट

बनाम

1. महेन्द्र सिंह आत्मज राय सिंह जाति राजपूत निवासी भाण्डाहेडा तहसील दीगोद कोटा हाल मुकाम–ख–23, अम्बेडकर कॉलोनी सकतपुरा कोटा अध्यक्ष ठा0 रायसिंह मेमोरियल ट्रस्ट सकतपुरा कोटा
2. कमला बाई पत्नी चौथमल जाति जैन निवासी–बी–38, वल्लभनगर कोटा राजस्थान
3. राज कुमार जैन आत्मज चौथमल जाति जैन निवासी बी–38, वल्लभगर कोटा राजस्थान
4. सचिव नगर विकास न्यास कोटा।
5. शिल्पा पुत्री महावीर प्रसाद जाति महाजन निवासीगण विजय प्रोविजन स्टोर, खाई रोड नयापुरा कोटा(नाम डिलीट)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज0।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री सूरज सिंह यादव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आरे से।
3. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 25.02.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 50/2019 में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में मूलवाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी ठा० रायसिंह मेमोरियल ट्रस्ट का अध्यक्ष है, जो नीजि पारिवारिक धार्मिक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। अध्यक्ष के पास ट्रस्ट के सर्वाधिकार सुरक्षित है। प्रार्थी अध्यक्ष के दादाजी

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

के नाम बाग खसरा नंम्बर 211 की रकबा 8 बीघा 16 विस्वा माफी बख्साउ व कब्जा वाके ग्राम सकतपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मुताबिक खता सम्वत् 1986 में खाते दर्ज है। जिसे रियासत समय में रेणियों के बाग से जाना जाता था। बाग में पूर्वजों द्वारा जुझार जी महाराज की मूर्ति, महावीर जी की छतरी एवं कुण्ड एवं कुआ का निर्माण किया हुआ है, तथा हाल में सीमेंन्ट कंकरिट से बना कमरा बनाया हुआ है। यह स्थान प्रार्थी अध्यक्ष के पूर्वजों के समय से परिवाजनों के पूजनिय है और सभी पारिवारिक कार्य रीति रिवाजों के अनुसार उक्त स्थान पर सम्पन्न होते चले आ रहे है। जिसका संबंध धार्मिक भावनाओं और पूर्वजों की यादगार के साथ जुडा हुआ है। यह सम्पूर्ण आराजी प्रार्थी ट्रस्ट की निजी सम्पत्ति है, जिस पर ट्रस्टीयों के पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी ट्रस्ट ही उक्त धार्मिक स्थान मूर्ति जुझार जी महाराज जी सेवा पूजा एंव व्यवस्था करता है। उपरोक्त बाग खसरा नं0 211 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नं० 122 लगायत 133 बने है जिसमें से वर्तमान खसरा नं0 122 रकबा 0.28 है०, ख० नं० 123 रकबा 0.01 है० और खसरा नं० 124 रकबा 0.47 है० जिसके पुराने खसरा नं० 858/211 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा और खसरा नं० 859/211 रकबा 16 विस्वा कुल 2 बीघा 12 बिस्वा ओर उसके बाद नवीन खसरा नं० 168/738 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा भुमि वाके सकतपुरा तहसील लाडपुरा कोटा कन्हैयादास चेला रामप्रसाद दास के खाते गलत रूप से दर्ज चली आ रही है। कन्हैयादास चेला रामप्रसाद दास सन् 1951 के बाद से नही रहा है, जिसका कोई वारिस नहीं है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1956 लागू होने पर गलत रूप से सम्वत् 2010 से 2013 की जमाबंदी में मुनी कन्हैयादास चेला स्वामी रामप्रसाद दास साधु मंदिर मुनि का कुण्ड के खाते दर्ज कर दी गई थी। बाग में कभी काश्त नहीं की जाती थी और काश्त इजाजत भी खारिज की गई है। बाग पर वर्तमान समय में वादी ट्रस्ट एंत पूर्व में वादी ट्रस्टीयों के पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा है और झुझार जी महाराज एव महावीर जी सेवा पूजा करते चले आ रहे है। ट्रस्टीयों द्वारा बाग एक धार्मिक स्थान होने एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए लिए आराजी धार्मिक ट्रस्ट रजिर्स्टड कराया गया है। वादपत्र में उपरोक्त वर्णित वादी दृस्ट के ट्रस्टीयों के पूर्वजों के खाते और कब्जे की है। वादी महेन्द्र सिंह आत्मज श्री रायसिंह निवासी भाण्डाहेडा अध्यक्ष ठा० रायसिंह मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष है और खातेदार तुलसीराम उर्फ नाथूसिंह आत्मज रामकिशन जी के पौत्र है। वादी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है और मूर्ति जुझार जी महाराज का सरंक्षक होने से उक्त भूमि का खातेदार घोषित किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण का वादी ट्रस्ट की उपरोक्त आराजी से कोई संबंध नही है। वादी ट्रस्ट की भूमि से लगवां प्रतिवादी कम–1 के खाते की आराजी खसरा नं0 980 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा गैर मु० सडक व 981 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा बंजड जिसके वर्तमान खसरा नं0 1871, 1872, एंव 1873 वाके ग्राम नान्ता और खसरा नं0 187/746 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा वर्तमान नम्बर 134, 135, एंव 136 वाके ग्राम सकतपुरा तहसील लाडपुरा कोटा की स्थित है, जिस पर कुन्द कुन्द टापनशीप नाम से कोलोनी विकसित की जा रही है। प्रतिवादी कम–2, अप्रार्थी कम–1 का पुत्र है। अप्रार्थी कम 1 व 2 कुन्द कुन्द टाउनशिप कॉलानी के लिए वादी की लगवां भूमि को कुन्द कुन्द टाउनशिप के अपने ले–आउट प्लान में गलत रूप से शामिल करके अप्रार्थीगण नगर विकास न्यास के कार्यालय में ले–आउट प्लान प्रस्तुत कर पास करना चाहते हैं।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अप्रार्थीगण आपस में मिलीभगत करके प्रार्थी ट्रस्ट की आराजी पर अपना ले–आउट पास करा कर बेचान कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है, जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थीगण की आराजी प्रार्थी ट्रस्ट की भूमि से लगवां होने के कारण अप्राथीगण सहित अन्य व्यक्ति प्राथर्थी की भूमि को अनुचित रूप से अपनी बता कर फायदा उठाने का प्रयत्न करते है। अप्रार्थीगण ने प्रोपर्टी डीलर्स व असमाजिक तत्वों का एक गिरोह बना रखा है और प्राथर्थी अस्त की भूमि पर मदाखलत एवं मजाहमत करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण को अस्थायी व्यादेश से पाबद नहीं किया गया तो प्राथी को कई मुकदमें बाजी में उलझना पडेगा और भूमि खुर्द बुर्द कर देने से प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नही हो सकेगी। प्रार्थी की भूमि से अप्रार्थीगण का कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी का के प्रथम दृष्टया प्रमाणित है एंव सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध के इस आशय की अस्थायी व्यादेश ताफैसाला वाद पारित किया जावे कि भूमि खसरा नं० 122 रकबा 0.28 है0, 123 रकबा 0.01 है० एवं ख० नं0 124 रकबा 0.18 है० वाके ग्राम सकतपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा किसी प्रकार से मतादखल एवं मजाहमत न करे, न कोलोनी काट कर प्लाट बेचान करे और न ले–आउट प्लान पास करावे ऐसा कृत्य न स्वयं करे न किसी प्रतिनिधि से करावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2022 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2022 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10. 2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2022 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 96 सी.पी.सी. के निर्णयाधीन सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा निर्णय जेर अपील अधीनस्थ न्यायालय के यहां से अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना गुपचुप रूप से प्राप्त किया गया है जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नहीं रही है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां प्रस्तुत अपील संख्या 2023/132, 2019/0360 में एवं न्यायालय सिविल न्यायाधीश उत्तर कोटा के यहां प्रस्तुत वाद की प्रति के साथ दिनांक 03.01.2024 को प्राप्त होने पर हुई जिस पर अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय के बारे में सम्यक जानकारी प्राप्त कर सम्यत तत्परता से उक्त निर्णय की नकल हेतु दिनांक 30.01.2024 को आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर उक्त निर्णय की नकल दिनांक 15.02.2024 को प्राप्त हुई है जिस पर अपीलांट द्वारा सम्यक तत्परता से माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की है। उक्त अपील जानकारी की दिनांक से नकल प्राप्त करने पर अवधि मध्य पेश है। ऐसी स्थिति में आदेश की दिनांक से अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाकर प्रार्थना–पत्र अवधि मध्य माना जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण विषयक आराजी खसरा नम्बर 122, 123, 124 वाके ग्राम सकतपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0 का रेस्पोडेन्ट कम 1 वादी खातेदार नहीं है। बल्कि उक्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार अपीलांट मुकेशदास बैरागी है किन्तु वादी व प्रतिवादीगण द्वारा आपस में कॉल्युजन कर अपीलांट मुकेशदास की आराजी को हड़पने और उसे विवादित करने के दुराशय से उक्त प्रकरण में अपीलांट मुकेशदास को पक्षकार नहीं बनाकर गुपचुप रूप से अधीनस्थ न्यायालय के यहां वाद व प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर दिया और फिर आपस में कॉल्युजन कर अधीनस्थ न्यायालय के यहां से अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त आराजी के सम्बंध में दिनांक 31.10.2022 को उक्त अपीलाधीन निर्णय से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है। जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपीलांट के हक अधिकार प्रभावित होते है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से अपीलांट व्यथित पक्षकार है जिसके कारण अपीलांट द्वारा यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की जा रही है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपील के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में अपीलांट के विरूद्ध मंदिर झुझार जी महाराज मुनि जी का कुण्ड के सेवा पूजा के सम्बंध में सिविल वाद संख्या 128/2023

सिविल न्यायालय में पेश किया गया है जिसमें अपीलांट द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे दिनांक 04.09.2024 को माननीय सिविल न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। माननीय सिविल न्यायालय का आदेश दिनांक 04.09.2024 अपील से सुसंगत है तथा साक्ष्य में ग्राह्य दस्तावेज है जिसे माननीय न्यायालय को न्याय प्रदान करने में सहायता मिलेगी। न्यायहित में उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत नहीं है तथा अपील के निस्तारण में सहायक नहीं है। अतः उक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित नहीं है। अन्त में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. खारिज किए जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज न्यायालय के आदेश की प्रमाणित फोटोप्रति है जिस पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत है अतः उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी. पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

9. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि न्याय एवं संचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। उक्त प्रकरण विषयक आराजी खसरा नम्बर–122, 123, 124 वाके– ग्राम सकतपुरा तह० लाडपुरा जिला कोटा राज० का रेस्पोडेन्ट कम–1 (वादी) खातेदार नहीं है बल्कि उक्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार अपीलान्ट मुकेशदास बैरागी है। किन्तु वादी व प्रतिवादीगण द्वारा आपस मे कॉल्यूजन कर अपीलान्ट मुकेशदास की आराजी को हडपने और उसे विवादित करने के दूराशय से उक्त प्रकरण में अपीलान्ट मुकेशदास को पक्षकार नही बनाकर गुपचुप रूप से अधीनस्थ न्यायालय के यहां वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर दिया और फिर आपस मे कॉल्यूजन कर अधीनस्थ न्यायालय के यहां से अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जेकाश्त की उक्त आराजी के संबंध में दिनांक–31.10.2022 को उक्त अपीलाधीन निर्णय से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करली। अपीलान्ट उक्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार अपीलान्ट है। जिसके

कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपीलांट के हक अधिकार प्रभावित होते है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित पक्षकार है जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की जा रही है। अपील पेश करने की अनुमति हेतु धारा–96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भलीभांति स्पष्ट था कि वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार नही है। बल्कि वादग्रस्त आराजी का खातेदार व काबिज काश्तकार मुकेशदास बैरागी है और न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा ही पूर्व मे ही वाद संख्या– में निर्णय व डिक्री पारित कर मुकेशदास बैरागी को खातेदार घोषित किया है और उक्त निर्णय व डिक्री से उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा भी मुकेशदास का ही प्रमाणित है और कानूनन किसी अन्य व्यक्ति की आराजी के सबंध मे उसे पक्षकार बनाये बिना कोई भी निषेधाज्ञा प्रसारित नहीं की जा सकती किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आराजी के खातेदार अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना उसे सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना मनमर्जी व आरबिटेट्री रूप से उसकी आराजी के संबंध मे अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय जेर अपील पूर्णतया गलत, गैरकानूनी एवं मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट था कि रेस्पोडेन्ट कम–1 वादी का अपीलान्ट की खातेदारी की उक्त वाद विषयक भूमि से किसी भी प्रकार का कोई भी सबंध नहीं है और ना ही उक्त आराजी का खातेदार है और ना ही उक्त आराजी पर किसी दस्तावेजी साक्ष्य से उसका कब्जा काश्त प्रमाणित है। इसके विपरीत वादग्रस्त आराजी का खातेदार अपीलान्ट है जो उक्त प्रकरण में पक्षकार ही नही है इसके कारध रेस्पोडेन्ट वादी के पक्ष में ना तो कोई प्रथम दृष्टया केस है और ना ही सुविधा का सतुलन व अपूर्णिय क्षति का बिन्दु निहित है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि पर मनमर्जी रूप से तृतीय व्यक्ति के पक्ष मे अस्थाई निषेधज्ञा प्रसारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां वाद सख्या–80/2016 में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे मे उक्त भूमि पर अपीलान्ट मुकेशदास का ही कब्जाकाश्त माना गया है और उक्त भूमि पर वादी रेस्पोडेन्ट का कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उसके कब्ळे साक्ष्य की कोई मौजूद रही है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी रूप से अपीलान्ट की भूमि पर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञ प्रसारित की है जो अवैधानिक व गैरकानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट कम–1 व रेस्पोडेन्ट कम–2 द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा वाद संख्या–80/2016 में पारित निर्णय दिनांक–22.02.2019 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां अपील संख्या–2023/132, 2019/00360 प्रस्तुत की थी जो माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक–06.12.2023 से निरस्त फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के पक्ष मे बहाल रखा गया है। उक्त निर्णय मे राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा रेस्पोडेन्ट कम–1 व रेस्पोडेन्ट कम–2 का अपीलान्ट की भूमि मे कोई भी हक व अधिकार नही माना गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट कम–1 को अपीलान्ट की उक्त भूमि के संबंध में किसी

भी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट कम–1 द्वारा गुपचुप रूप से अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना उसकी आराजी के संबंध में प्राप्त की गई अस्थाई निषेधाज्ञा पूर्णतया गलत गैरकानूनी व अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट कम–1 द्वारा गुपचुप रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर लेने से अपीलान्ट के विधिक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है जिसके कारण रेस्पोडेन्ट द्वारा प्राप्त उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किये जाना न्यायोचित व आवश्यक है। रेस्पोडेन्ट कम–1 द्वारा उक्त निर्णय जेर अपील अधीनस्थ न्यायालय के यहां से अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना गुपचुप रूप से प्राप्त किया गया है जिसकी अपीलान्ट को पूर्व मे कोई जानकारी नही रही है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां प्रस्तुत अपील संख्या–2023/132, 2019/00360 में एवं न्यायालय सिविल न्यायाधीश उत्तर कोटा के यहां प्रस्तुत वाद की प्रति के साथ दिनांक–03.01.2024 को प्राप्त होने पर हुई जिस पर अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय के बारे में सम्यक जानकारी प्राप्त कर सम्यक तत्परता से उक्त निर्णय की नकल हेतु दिनाक–30.01.2024 को आवेदन प्रस्तुत किया। जिसपर उक्त निर्णय की नकल दिनाक 15.02.2024 को प्राप्त हुई है जिस पर अपीलान्ट द्वारा सम्यक तत्परता से माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। जो सर्वप्रथम जानकारी की दिनाक से नकल की मुद्रा करने पर अवधि मध्य पेश है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि का खातेदार है इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट को पक्षकार कायम नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट को पक्षकार कायम किए बिना ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की है जो विधि विरूद्ध है। तहसीलदार लाडपुरा की रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त होने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किए बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नोन स्पीकिंग आदेश है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में गलत लोगो को पक्षकार बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के द्वारा ही वादग्रस्त भूमि मेरे खाते दर्ज हुई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि पर मेरा कब्जा काश्त माना गया है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मेंरी खातेदारी में दर्ज भूमि पर ही मेरे विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रभावित प्रक्षकार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कथित ट्रस्ट की डीड में भूमि का कोई उल्लेख नहीं है। अतः उक्त ट्रस्ट डीड से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। श्रज्ञ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2022 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2022 निरस्त किए जाने का निवेदन किया ।

10. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया रेस्पोडेट कम–1 ठा० रायसिंह मोमोरियल ट्रस्ट का ट्रस्टी एवं अध्यक्ष है। रेस्पो० कम–1 अध्यक्ष के दादा जी तुलसीराम उर्फ नाथूसिंह आ० श्री रामकिशन जाति यादव (राजपूत) निवासी भाण्डाहेडा तहसील दीगोद कोटा के

खाते की भूमि माफी कब्जा बख्शाउ ख० नं0 211 की 8 बीघा 16 बिस्वा किस्म बाग वाके सकतपुरा तहसील लाडपुरा कोटा में दर्ज हैं। जिसके वर्तमान ख० नं. 122 लगायत 133 बने है। खसरां नं0 122, 123, 124 वाके ग्राम सकतपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा के सबंध में वाद घोषणा महेन्द्र सिंह बनाम कमला वगैरा का उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्ष जेरकार है। अपीलान्ट मुकेश दास का वादग्रस्त भूमि पर न तो कभी कब्जा रहा है और न भूमि अपीलान्ट की है। रेस्पो० कम–1 ने पूर्वजों की उक्त सम्पत्ति एवं कब्जे के सरंक्षण हेतु ठा० रायसिंह मेमोरियल ट्रस्ट का पंजियन वर्ष 2013 में कराया है, जो धार्मिक एवं पारिवारिक नीजि ट्रस्ट है। भूमि पर पूर्व में तुलसीराम उर्फ नाथू सिंह आ० श्री रामकिशन जी, उसके बाद रायंसिह आ० तुलसीदाम उर्फ नाथू सिंह जी का कब्जा था। उसे बाद न्यासी सूरज सिंह यादव एडवोकेट करीब 50 साल से काबिज है। वर्ष 2013 में ट्रस्ट का पंजीयन होने के बाद से उक्त सम्पत्ति पर ट्रस्ट काबिज हैं। अपीलाधीन आदेश गुपचुप तरीके से नहीं दिया है बल्कि दोनों पक्षो को सुनकार दिया गया है। ट्रस्ट के पक्ष में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.22 स्थगन जारी किया गया है कि ख० नं० 122, रकबा 0.28 है, ख० नं० 123 रकबा 0.01 है तथा ख० नं0 124 रकबा 0.18 है० वाके ग्राम सकतपुरा तहसील लाडपुरा कोटा की आराजी पर ता–फैसला वाद प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल नही करें, किसी प्रकार से मतादखत एवं मजाहमत न करें, न कौलोनी काट कर प्लाट बेचान करें । उक्त आशय का नोट भूमि की जमाबंदी पर भी लगाया गया है। अपीलान्ट ने जमांबदी पर उक्त नोट हटाने के उद्देश्य से अपील प्रस्तुत की है, ताकि भूमि से रेस्पो० कम 1 को बेदखल कर वादग्रस्त सम्पत्ति बेचान कर खुर्द बुर्द कर दें। अपीलान्ट ने उक्त भूमि के सबंध में कई बेचान इकरार नामें एवं विक्रय पत्र पंजियन करा कर भूमि से करीब एक करोड रूपया हडप लिया है, जिसमें संबंध में थाना नान्ता कोटा शहर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 236/2023 अर्न्तगत धारा 240, 406 120बी आईपीसी में दर्ज है। अपीलान्ट भू–माफिया गिरोह का सदस्य है। अपीलान्ट को वादग्रस्त सम्पत्ति के सबंध में कोई हक और अधिकार प्राप्त नही है। अपीलान्ट को जानकारी थी कि उक्त सम्पत्ति रेस्पो० कम–1 की है। अपीलान्ट में गुपचुप तरीके से केवल तहसीलदार को पार्टी बना कर दिनांक 22.02.2019 को वाद डिक्री करा कर भूमि अपने खाते दर्ज करा ली है। रेस्पो० कम–1 ने डिकी दिनांक 22.02.19 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी, जिसमें रेस्पो० कम–1 का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर अपील दिनांक 06.12.23 खारिज की है। निर्णय 06.12.23 की रेस्पो० कम–1 ने नजरसानी प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। जिसमें दिनांक 02.01.24 को रेस्पो० कम–1 की नजरसानी एडमिट कर निर्णय दिनांक 06.12.23 को रिजर्व रखा गया है। अपीलान्ट रेस्पो० कम–1 द्वारा प्रस्तुत वाद महेन्द्र सिंह बनाम कमला वगैरा मे व्यथित पक्षकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2022 से अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट ने स्वयं को कन्हैयादास का चेला होना बताकर तथा ट्रस्ट की भूमि को कन्हैयादास चेला रामप्रसाद दास की भूमि होना बताकर तथा कन्हैयादास को ट्रस्ट के धार्मिक स्थान की सेवा पूरा करने का अधिकारी होने के असत्य कथन करके वादग्रस्त भूमि को स्वयं के खाते दर्ज करवा लिया है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद के विवाद्यक बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना शेष है। अपीलांट का वादग्रस्त भूमि से कोई सम्बंध नहीं है। अपीलांट ने कभी भी रेस्पोडेन्ट कम 1 के स्थान की सेवा पूजा नहीं की है और ना ही उसके सेवा पूजा करने का अधिकार है। सेवा पूजा करने के सम्बंध में वाद संख्या 624/2023 अउनवान रायसिंह मेमोरियल ट्रस्ट बनाम सहायक देवस्थान आयुक्त देवस्थान व अन्य माननीय सिविल न्यायालय कोटा उत्तर में विचाराधीन है तथा जिसमें अपीलांट द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर माननीय सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाना शेष है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2022 की प्रारंभ से ही जानकारी रही है। इसके बावजूद भी अपीलांट ने जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है। अपीलांट ने विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2022 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2015(1) आर.एल.डब्ल्यु. पेज 450, 2022(1) डी.एन.जे.(रेवेन्यु) पेज 192, आर.आर.डी. 1997 पेज 505 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2022 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

11. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने अपनी बहस में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 नगर विकास न्यास कोटा के हितों को दृष्टिगत रखते हुए विधिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित किए जाने का निवेदन किया।

12. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। अपीलांट प्रार्थी का कथन है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार कायम नहीं किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय दिनांक 31.10.2022 अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। चूंकि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था अतः अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2022 की जानकारी नहीं होने का कथन विश्वसनीय प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थी

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील संख्या 2024/43
मुकेश दास बनाम महेन्द्र सिंह वगै0

अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

प्रार्थी अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया है तथा स्वयं को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2022 से व्यथित पक्षकार होना बताकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलांट का कथन है कि वह वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 122, 123 व 124 का अभिलिखित खातेदार है तथा वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। इसके बावजूद भी अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार कायम नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 122, 123 व 124 के सम्बंध में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया गया है अतः हमारे मत में अपीलांट प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2022 से प्रभावित पक्षकार है। अतः प्रार्थी अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है। न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम सकतपुरा तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 122, 123 व 124 के सम्बंध में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 5 में प्रश्नगत खसरा नम्बर 122, 123 व 124 की भूमि को कन्हैयादास चैला रामप्रसाद दास के खाते दर्ज होने का कथन अंकित किया है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि प्रश्नगत खसरा नम्बर 122, 123 व 124 की भूमि के गत खसरा नम्बर 211 रकबा 8 बिस्वा भूमि सम्वत् 1986 में माफी बख्साउ दर्ज थी तथा उक्त आराजी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ट्रस्ट की निजी सम्पत्ति है परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर गलत रूप से सम्वत् 2010 से 2013 की जमाबंदी में कन्हैयादास चेला स्वामी रामप्रसाद दास के खाते दर्ज कर दी गई परन्तु वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी ट्रस्ट का ही कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 80/2016 में पारित निर्णय दिनांक 20.02.2019 की फोटोप्रति संलग्न है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20.2.2019 में प्रश्नगत खसरा नम्बर 122, 123 व 124 कुल किता 3 कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर वाके ग्राम सकतपुर तहसील लाडपुरा की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी मुकेशदास बैरागी चैला कन्हैयादास का नाम बतौर खातेदार दर्ज किए जाने का आदेश अंकित है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 20.02.2019 को पारित निर्णय व डिक्री में अपीलांट मुकेशदास को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया जा चुका था। अपीलांट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2019 के विरूद्ध न्यायालय हाजा

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा

में प्रस्तुत अपील संख्या 2023/132 तथा अपील संख्या 2019/00360 में समेकित रूप से पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2023 की फोटोप्रति पेश की है जिसमें अपील संख्या 2023/132 में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम अपीलांट के रूप में अंकित है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2023 के पैरा संख्या 6 में अपील संख्या 2023/132 के विद्वान अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2019 की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 21.04.2019 को होने का कथन अंकित है। अतः प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2019 की जानकारी दिनांक 21.04.2019 को हो चुकी थी। अतः अपीलांट मुकेशदास को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2019 के आधार पर खसरा नम्बर 122, 123 व 124 की भूमि का खातेदार घोषित किए जाने का तथ्य दिनांक 21.04.2019 को ही संज्ञान में आ चुका था तथा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.07.2019 को प्रस्तुत किया गया है जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2019 की जानकारी दिनांक 21.04.2019 को होने के बाद प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के दौरान इस तथ्य की भलीं–भांति जानकारी थी कि अपीलांट मुकेशदास को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2019 द्वारा प्रश्नगत खसरा नम्बर 122, 123 व 124 की भूमि का खातेदार घोषित किया जा चुका है। चूंकि प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत खसरा नम्बर 122, 123 व 124 की भूमि के सम्बंध में ही अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है अतः प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलांट मुकेशदास को हस्तगत प्रार्थना–पत्र में पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक था। परन्तु प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद भी जानबूझकर को छुपाकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अपीलांट को पक्षकार कायम नहीं किया गया। हमारे मत में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का स्वच्छ हस्तों से नहीं हाना प्रकट होता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2019 में प्रश्नगत खसरा नम्बर 122, 123 व 124 की भूमि का अपीलांट को खातेदार घोषित किया जा चुका है तथा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2023 के द्वारा खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2019 एवं न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2023 को चुनौती दिए जाने के सम्बध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2019 आज भी प्रभावी है। चूंकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2019 के द्वारा अपीलांट को खसरा नम्बर 122, 123 व 124 की भूमि का खातेदार घोषित किया गया है तथा इसी निर्णय दिनांक 22.02.2019 में तनकी संख्या 1 के निष्कर्ष में अपीलांट मुकेशदास का कब्जा काश्त होने का अंकन है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट

संख्या 1 ना तो प्रश्नगत खसरा नम्बर 122, 123 व 124 की भूमि का खातेदार है और ना ही खसरा नम्बर 122, 123 व 124 की भूमि पर स्वयं का कब्जा काश्त होने के सम्बंध में कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किया है अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रश्नगत खसरा नम्बर 122, 123 व 124 की भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.10.2022 में प्रश्नगत खसरा नम्बर 122, 123 व 124 की भूमि के सम्बंध में अस्थाई निषेधाज्ञा का जो आदेश अंकित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2022 निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

13. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 50/2019 में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2022 निरस्त किया जाता है।

14. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

15. निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/2/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा